नम्बर व तारीख अहकाम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/6/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। के आदेश का दिनांक 30/7/21 के मूलवाद अनुसार अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वर्ष 2016 से लंबित है एवं पक्षकारों के मध्य विभाजन होना शेष जिसका मूलवाद साक्ष्य वादी पर लंबित है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जाकाश्त भूमि है। अविभाजित भूमि है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जाजीवाल कुतड़ी खसरा सं. 78 रकबा 16 बिस्वा, ख. सं. 79 रकबा 52 बीघा 9 बिस्वा, खसरा सं. 153 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा तहसील व जिला जोधपुर की भूमि में उभयपक्षकारान को ता. मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। पक्षकारान स्वयं के हिस्से एवं कब्जा काश्त में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। उभयपक्षकारान कब्जा काश्त भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। पत्रावली मूलवाद	

के साथ तल्फी होकर एक नंबर कम हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।